संख्या-160/2016/आर-3725/26-3-2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर 2016

विषयः-रिट याचिका संख्या-25004/2016 मंगलमय इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, गौतमबुद्धनगर, बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-26-05-2016/29-08-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2082/स.क./शिक्षा-अ/2016-17 दिनांक-30-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-26-05-2016/29-08-2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-36,72,660/-(रूपये छत्तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ साठ मात्र) एवं सामान्य वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-23,050/-को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के क्रमशः अनुदान संख्या-83 एवं अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति निर्गत कर आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-160/2016/आर-3725(1)/26-3-2016-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in